

valkit-chauri

पंचांग सं० 4-३४
फाल सं० १५
दिनांक २२-३-२०११

संख्या-जी०आर०-२६४२/७-१-२०११-८००(३२०५)/२००३

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वकाण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10 मार्च, 2011.

विषय:- जनपद-चमोली में तहसील, गैरसेण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.62 हेठल मूलि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४वी / यू.सी.पी. ०६/३४४/२००३/एफ.सी./२३२४ दिनांक ०८-०२-२०११ में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न आंतर्गत प्रदान करते हैं :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: २११०/१जी-२९१८ (चमोली) दिनांक २२-०२-२०११ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली में तहसील, गैरसेण के अन्तर्गत देवलकोट ग्राम के लिए मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.६२ हेठल मूलि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या ४वी / यू.सी.पी. ०६/३४४/२००३/एफ.सी./२३२४ दिनांक ०८-०२-२०११ में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न आंतर्गत प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा विनिहत ३.२४ हेठल देवलकोट अवनत सिविल एवं सौयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तापुस्तिका के प्रस्तर ३.२(1) एवं ४.२ के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विनिहत सिविल एवं सौयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो नामान्तरित भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या ११-१७७/२०१०-एफ.सी. दिनांक ३-८-२०१०, जिसके द्वारा रायिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक ५-७-२०१० को सम्पन्न धैठक में लिये गये निर्णय को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विनिहत सिविल एवं सौयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, २००५ के सांतत पालितानों के तहत द्वारा वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सौयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित वार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल उपयोग के लिए अथवा उपयोग के लिए अन्य विभाग, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. उसके किसी साग को किसी अन्य विभाग, संस्थाओं अथवा वेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अंधीन या उन्हें सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पद को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पद को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वायकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उपर वन भूमि प्रयोजन हेतु आवश्यकता एजेन्सी के उपयोग में तब तक यही रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अंधीन उक्त भूमि को ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को दिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सकाम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर व्यवहार पृष्ठ एवं पौंछ वर्षों तक उसका रथ-रथाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य वल की संस्थानियों एवं गू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रथ-रथाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से निर्माण में निट्रो/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित मार्गों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रदन्व एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सङ्क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डिपिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं अभियानिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-१०४/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि०-दि०-१-१-२००१, कार्यालय-ज्ञाप-सं०-११०/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा०-वि० दि०-४-१-२००१ एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ३-२-१९८ द्वारा-प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

Ach
NAresh Chamoni
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

राज्या:-जी03आ०:- 2420 / 7-1-2010-000(3290) / 2009

प्रेषण,

श्री राजेन्द्र सुमार,
अपर भविष्य,
चत्तराखण्ड शासन।

1553
1 रामू(दृष्टि)
ग्रंथ-11-2010

सेवा मे.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
मूभि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
चत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्जावलपुर से जसपुर-ग्वाङ-डुंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हेठ
वन मूभि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1072/1जी-2642 (चमोली) दिनांक 29-10-2010 के सन्दर्भ ने
नुस्खे यह कहने का निवेदा हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्ज्यवलपुर ते
जसपुर-ग्वाङ-डुंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हेठ वन मूभि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण
विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति मारत तरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वी/यू.सी.पा.
/05/335/2009/एफ.सी./950 दिनांक 13-10-2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न रातों पर
प्रदान करते हैं :-

1. दन भूमि की वर्तमान वैज्ञानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वाय पर वन विभाग द्वारा चिह्नित 3.43 हेठ तिरोली अवनत सिविल एवं सोयम भूमि
पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्दिर्शी सिद्धान्त हस्तापुस्तिका के प्रस्तर 32(1) एवं 42 के अनुसार
क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति गे यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना
के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन मूभि को छः माह के
अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पत्र में
नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र
संख्या 11-177/2010-एफसी दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा साधित, भारत सरकार, पर्यावरण एवं
संख्या 5-7-2010 को सम्बन्ध वैठक में लिये गये निर्णय को
वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को सम्बन्ध वैठक में लिये गये निर्णय को
क्षतिपूरक वृक्षारोपण, हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन मूभि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन
घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के तंगत प्राविधानों के
तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त तत्वमय में भारत सरकार द्वारा जन्ति निर्णय
लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन मूभि के हस्तान्तरण के विषय पर योग्यता वार्तावाही की
जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इत्थ मूभि को छः माह की अवधि में संरक्षित दन घोषित
किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी उक्त भूमि का उपयोग कंवल व्यवहार हेतु ही करेगा। तथा वह उक्त भूमि उथव
उसके किसी भाव को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकारी/कर्तव्यार्थी अथवा उक्त व्यक्तियों के उक्त व्यक्तियों के उक्त व्यक्तियों
सम्बन्धित कोई भी किसी भी प्रकार है इन तत्वमय को करते नहीं पहुँचाएँ और यदि उक्त
व्यक्तियों द्वारा वन संस्था के कोई काहि पहुँच है तो अथवा कोई काहि पहुँच है तो उक्त के

- सम्बन्धित प्रागागीय यनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकार, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी।

 6. उचत वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा। उसकी उचत प्रयोजन एजेन्सी के उपयोग में तथ ताक वनी रहेगी, जब ताक कि प्रयोक्ता एजेन्सी 'का भाग वीं आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उचत भूमि वाथया उचत भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग वो किसी प्रतिकार भुगतान के यापस हो जायेगी।
 7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के संशान अधिकारी वीं अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 8. वन विभाग तथा उसके वागिकर्ताओं वो किसी भी रागय जब वे आवश्यक सामग्री, उत्तरान्तरित विषय गये भूखण्ड पर प्रवेश करने वे उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
 9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावित गार्फ के दोनों ओर रिक्त पड़े रथान्दों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पौँच वर्षों तक उसका रख-रखाय दिया जायेगा।
 10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जननपद गार्फ वन की रांतुतियों एवं गू-वैज्ञानिक के रुझानों का कडाई रो अनुपालन किया जायेगा।
 11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित योजना के निर्माण 'एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आरा-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं वो कोई तुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
 12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत गजदूरों/स्टाफ को रसोई चैस/किरोसिन हैल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
 13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित रथत/यन वैत्र के आरा-पास गणदूरों/स्टाफ वो लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को शतिरित आरा-पास की वन भूमि से निर्माण गें गिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
 15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पासित होने वाले वृक्षों का पातान उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निर्तारण रामबन्धित ग्रामों की रथानीय जनता वो हफ-हकूफ के दृष्टिगत किया जायेगा।
 16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गार्फ निर्माण में आवश्यक न्यूनताग वृक्षों का ही पातान किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०इ०, शतिपूरक वृक्षारोपण एवं गार्फ के दोनों ओर रिक्त रथान्दों पर वृक्षारोपण हेतु जामा की गई धनराशि को गारत रारकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (AI-loc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
 8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सङ्कर निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निरतारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित गलवे के उचित निरतारण हेतु गक डम्पिंग रथलों को चयनित कर चिन्हित रथलों पर ही गलवे का निरतारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं चिन्हित रथलों पर ही गलवे का निरतारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना रौयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर कियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित गलवे को किसी भी दशा में नदी में निरतारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गक डिस्पोजल की योजना लखनऊ तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेपित की जायेगी। गक डिस्पोजल कार्य योजना प्रेपित न कराये जाने की दशा में इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन समझा जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं-104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0 वि0 सं-104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0 वि0 दि0-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं-110/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0 वि0 दि0-4-1-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भावदीय

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

NAresh Chamoli
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

१०/८/२०८
५९/१०६/०१८

रांगा: ५८८/X-१-१७/१(२४) / २०१०

प्रेषक,
सुगाख चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

अपर प्रभुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हरतातरण, इन्द्रिया नगर,
फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-४

विषय:- जनपद चमोली के अंतर्गत भींग गधेरे से गढ़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७९४ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1009/FP/UK/RGAD/17582/2016, दिनांक 16.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-820/x-४-१६/१(२४)/२०१६, दिनांक 24.10.२०१६ में अधिरोपित कर्तिपय शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली के अंतर्गत भींग गधेरे से गढ़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.७९४ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की विधिकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संरक्षा अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता विभाग वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर०सी०सी० पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा। जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
5. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
6. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
7. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास स्वित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण-एवं-१०-वर्षों-तक-उसका-रख-रखाव किया जायेगा।
9. मा० उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरक्षितियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैर्स/किरोसिन तेल वी आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती घनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावित रथत/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कौप्य नहीं लगाया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन गूणि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर गक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तर्जित मलबे का निरतारण चिन्हित रथलों पर ही किया जायेगा व उत्तर्जित मलबे को किसी भी वशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निरतारित नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रतित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण एवं परियोजना के आस-पास रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जगा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानान्तरित कर दिया गया है।
18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
20. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं होने की रिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 588 (1)/ X-4-17/1(244)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० विधायक, थराली, चमोली को मा० विधायक महोदय के सज्जानार्थ द्वारा नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. अधिशासी अधिकारी, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली, चमोली।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

आज्ञा
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

